न्यायालय तहसीलदार, बदनोर, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण सं. 156/2019...

अनवान

सरकार जरिये
पटवारी हल्का औफियाणा.....
प्रार्थी

बनाम श्री गोपाल सिंह पि. हजारी सिंह रावत
अप्रार्थी

निर्णय   दिनांक 21/1/19..............

पत्रावली आज मुकाम......बदनोर.........पर पेश हुई । अप्रार्थी ~~उपस्थित~~ / अनुपस्थित है प्रकरण सार निम्न प्रकार है कि-

पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट पेश की है कि श्री.....गोपाल...............पिता...हजारी...............
जाति.....रावत.....................निवासी.....औफियाणा.........ने राजकीय भूमि आ.नं. 2187.............किस्म चरागाह/ ~~बिलानाम~~ भूमि पर सं. ......2015..... खरीफ/रबी के दौरान अतिक्रमण कर फसल .....(तिल).............काश्त की है।

रिपोर्ट नाजायज कब्जे की प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिय की तामील अप्रांर्थी को विधिवत होने पर शामिल पत्रावली की गई । अप्रार्थी के भूमि नियमन की तारीफ में नहीं आती है। अनुपस्थित रहने से तरफ कार्यवाही की जाती है।

अतः अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमण भू-भाग ग्राम...औफियाणा...........................के आराजी खसरा नम्बर 2187................रकबा 0.40 हे. लगानी.......0.60.........के ....50................ गुणा से पेनेल्टी रूपये.....30/-.... अक्षरे.....रु. तीस 00 पैसा.................आरोपित की जाती है। मौके पर खड़ी फसल/मेटेरियल आदि को कब्जा सरकार ली जाकर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जावे । आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. को लिखा जावे । शास्ती की मॉग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार के यहॉ कराई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । ईजराय पत्रावली संधारित होकर पालना कराई जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील बदनोर (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner